बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

संचिका सं0-09/न०वि०(टाउनशिप)-03/2026(Part-I)   न0वि0एवंआ0वि0, दिनांक-

ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र में भू-स्वामियों द्वारा बिहार राज्य आवास बोर्ड को भूमि विक्रय संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया

(नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प ज्ञापांक-6608, दिनांक 19.06.2026 के अनुपालन में)

1. आवेदक (भू-स्वामी) अपनी भूमि विक्रय का प्रस्ताव प्रारूप विक्रय विलेख तथा अन्य साक्ष्य प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड को समर्पित करेंगे ।
2. बिहार राज्य आवास बोर्ड 7 दिनों के अंदर प्राप्त प्रस्ताव की प्राथमिक जांच कर, बिहार रैयती भूमि क्रय नीति, 2026 के तहत कुल अनुमानित मूल्य के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रस्ताव संबंधित समाहर्त्ता (₹100 करोड़ तक) अथवा प्रमंडलीय आयुक्त (₹100 करोड़ से अधिक) को अग्रेत्तर कार्रवाई के लिए भेजेंगे।
3. बिहार राज्य आवास बोर्ड अपने किसी पदाधिकारी को संबंधित "जिलास्तरीय/ प्रमंडलस्तरीय रैयती भूमि क्रय समिति" के सदस्य सचिव के रूप में नामित करेंगे। इसके अतिरिक्त आवास बोर्ड भूमि के विक्रय विलेख का निबंधन हेतु किसी पदाधिकारी को अधिकृत करेंगे।
4. संबंधित समाहर्त्ता / प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय / प्रमंडलस्तरीय रैयती भूमि क्रय समिति बिहार रैयती भूमि क्रय नीति, 2026 के तहत प्राप्त प्रस्ताव की जांच तथा नीति के सिद्धांतों के अनुरूप भूमि की दर एवं कुल मूल्य (परिसंपत्तियों सहित) का विनिश्चय करेगी। इसके उपरांत, संबंधित भू-स्वामी से दर एवं कुल मूल्य पर अंतिम लिखित सहमति प्राप्त कर प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकार के पास स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाएगा ।
5. सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत, बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा 7 दिनों के अंदर भू-स्वामी को निर्धारित राशि का भुगतान सुनिश्चित करते हुए बिहार राज्य आवास बोर्ड के अधिकृत पदाधिकारी के माध्यम से विक्रय विलेख का निबंधन कराया जाएगा तथा ससमय आवास बोर्ड के पक्ष में नामान्तरण की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी ।

6. इस प्रक्रिया के तहत क्रय की की जाने वाली भूमि स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क से मुक्त होगी।

7. इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(मनोज कुमार)

अपर सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-09/न०वि०(टाउनशिप)-03/2026(Part-I) 6553 न0वि0एवंआ0वि0, दिनांक- 25/06/26

प्रतिलिपि-मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड/ बिहार शहरी आधारभूत संरचना एवं विकास निगम लिमिटेड/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सभी जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/6/2026

अपर सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग।